

प्रेस विज्ञप्ति:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 63 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है, कि दिनांक 01.06.2018 को वादिया निवासी थाना कुशेश्वर जनपद सहारनपुर की लडकी उम्र-15 वर्ष को अभियुक्त लोकेश पुत्र यशपाल थाना नानौता द्वारा बहला-फुसला कर अपहरण कर यमुनानगर ले जाना तथा कमरे में बन्द कर बलात्कार करना व धमकी देने की सूचना पर मुअस 278/18 धारा 363,366,376,323,342,506, भादवि व 5,ठ,ढ,व द पोक्सों एक्ट में थाना कुशेश्वर पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं 104/18 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं-13 सपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साहयक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी प्रथम के द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं-13 सपुर द्वारा आज दिनांक 30.09.2021 को अभियुक्त लोकेश पुत्र यशपाल को मुअस 278/18 धारा 363,366,376,323,342,506, भादवि व 5,ठ,ढ,व द पोक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 63 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 30-09-2021

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद:-

अवगत कराना हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में वाहन चोरो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29-09-2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा चौकी जंधेड़ी से शामली की तरफ मन्दिर के सामने सड़क पुख्ता से चैकिंग के दौरान 02 शातिर वाहन चोर क्रमशः 1-आकाश पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम चन्देनामाल थाना थानाभवन, शामली 2-लविश पुत्र सोमबीर बढई निवासी चन्देनामाल थाना थानाभवन, शामली को विभिन्न स्थानों से चोरी की गई 11 मोटर साइकिल सहित समय 16:05 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में जनपद हरियाणा, मु0नगर व सहारनपुर के विभिन्न स्थानों से मोटर साइकिल चोरी करना स्वीकार किया हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 272/21 धारा 414/420/465 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- आकाश पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम चन्देनामाल थाना थानाभवन, शामली।
- लविश पुत्र सोमबीर बढई निवासी चन्देनामाल थाना थानाभवन, शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अद्द स्पलेण्डर मो0सा0 नं0 यूपी 12 वी-0526 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 608/21 धारा 379 भादवि थाना को0नगर, मु0नगर।)
- एक अद्द स्पलेण्डर मो0सा0 नं0 यूपी 11 एएल-7964। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 266/21 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाइन, मु0नगर)
- एक अद्द एचएफ डीलक्स मो0सा0 नं0 यूपी 11 बीई-4334। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 285/21 धारा 379 भादवि थाना जनकपुरी, स0पुर।)
- एक अद्द स्पलेण्डर प्लस मो0सा0 नं0 एचआर 01 एआर-5489। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 387/21 धारा 379 भादवि थाना अम्बाला कैन्ट, हरियाणा।)
- एक अद्द टीवीएस स्टार मो0सा0 नं0 एचआर 05 एबी-8969।
- एक अद्द स्पलेण्डर प्लस मो0सा0 नं0 यूपी 11 बीडी-9480।
- एक अद्द स्पलेण्डर प्लस मो0सा0 नं0 यूपी 11 एबी-1232।
- एक अद्द बजाज डिस्कवर मो0सा0 नं0 डीएल 7एस बीए-5628।
- एक अद्द हीरो होण्डा स्पलेण्डर मो0सा0 नं0 यूपी 12 एम-0249।
- एक अद्द बजाज सिटी 100 मो0सा0 बिना नम्बर की।
- एक अद्द पल्सर मो0सा0 बिना नम्बर की।

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 272/21 धारा 414/420/465 भादवि थाना नानौता, स0पुर।
- मु0अ0सं0 608/21 धारा 379 भादवि थाना को0नगर, मु0नगर।
- मु0अ0सं0 266/21 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाइन, मु0नगर।
- मु0अ0सं0 285/21 धारा 379 भादवि थाना जनकपुरी, स0पुर।
- मु0अ0सं0 287/21 धारा 379 भादवि थाना अम्बाला कैन्ट, हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- ❖ श्री सौबीर नागर, थानाध्यक्ष, थाना नानौता, सहारनपुर।
- ❖ व0उ0नि0 श्री शीतल कुमार शर्मा, थाना नानौता, सहारनपुर।
- ❖ उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना, थाना नानौता, सहारनपुर।
- ❖ है0का0 592 विजय कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।
- ❖ का0 1600 मनोज कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।
- ❖ का0 1258 सुमित कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।
- ❖ हो0गा0 2077 सतीश कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।

—: प्रेस नोट :—

आज दिनांक: 30.09.2021 को पुलिस लाइन्स सभागार में पेंशनर्स विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डा० एस० चन्नप्पा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा पेंशन पर जाने वाले अधि०/कर्म० को माला पहनाकर तथा प्रशस्ति पत्र एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री प्रेमचन्द, पुलिस अधीक्षक, यातायात/लाइन्स, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स सहारनपुर एवं पुलिस लाइन्स में नियुक्त अधि०/कर्म० सम्मिलित हुए। पेंशन पर जाने वाले अधि०/कर्म० का विवरण निम्नवत् है—

- 1— उप निरीक्षक ना०पु० श्री महावीर सिंह
- 2— उप निरीक्षक ना०पु० श्री विनोद कुमार अहलावत
- 3— मुख्य आरक्षी चालक कविन्द्र सिंह

प्रेस नोट दिनांक 30-09-2021

थाना नागल पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 29-09-2021 को थाना नागल पुलिस द्वारा ग्राम रसूलपुर खेड़ी तिराहे से अभि० मनीष पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम रसूलपुर खेड़ी थाना नागल, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नागल पर मु०अ०सं० 203/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 29-09-2021 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा रुडकी रोड छुटमलपुर से अभि० अब्दुल कादिर पुत्र इरफान निवासी मुस्लिम कालोनी छुटमलपुर थाना फतेहपुर, सहारनपुर को 150 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 395/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करते समय 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 29-09-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा इस्लामिया मदरसे के सामने से अभि० जहांगीर उर्फ बबला पुत्र शरीफ निवासी ग्राम खेड़ा मुगल थाना देवबन्द, सहारनपुर को सट्टे की खाईबाड़ी करते समय सट्टे की पर्चिया व 1320/-रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 592/21 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 29-09-2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा नकुड़ रोड हाईवे बाईपास के पास से अभि० अभिषेक पुत्र स्व० राजेश तायल निवासी मो० चौधरीयान कस्बा व थाना सरसावा, सहारनपुर को 10 बोतल अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 345/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध शराब/चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 29-09-2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा बोनसा पुलिया से पिलखनी की तरफ नहर विभाग डाक बंगले के पास से अभि० गुरमीत पुत्र नारायणदास निवासी ग्राम मो० पिलखनी थाना सरसावा को 10 बोतल अवैध देशी शराब व 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 346/21 धारा 60 आबकारी अधि० व मु०अ०सं० 347/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध शराब/चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 29-09-2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा बोनसा पुलिया से पिलखनी की तरफ नहर विभाग डाक बंगले के पास से अभि० जीत सिंह उर्फ जोगी पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम मो० पिलखनी थाना सरसावा को 10 बोतल अवैध देशी शराब व 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 348/21 धारा 60 आबकारी अधि० व मु०अ०सं० 349/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 29-09-2021 को थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा ग्राम ताल्हापुर से अभि० विकास पुत्र सुल्हड़ निवासी कालूवाला पहाड़ीपुर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर को 30 पत्ते देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु०अ०सं० 178/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 29-09-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा उसण्ड रोड से अभि० सोनू उर्फ लच्छी पुत्र सफीक निवासी मो० कस्सावान कस्बा व थाना बेहट, सहारनपुर को 200 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 486/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 29-09-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा गागरो नदी पुल से अभि० शहनवाज उर्फ सोनू पुत्र हाशिम निवासी मो० शहरी दरवाजा कस्बा व थाना बेहट, सहारनपुर को 200 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 487/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 29-09-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा दुधगढ तिराहे से अभि० शहबान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना, सहारनपुर को 260 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 353/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
जनपद सहारनपुर।